अध्याय-II

अपर्याप्त योजना

राज्य ग्रामीण और शहरी जल नीतियों को राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया है। राज्य की मौजूदा जल नीतियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों के बजाय पानी की मात्रा की खपत के आधार पर बिल देना था, जो प्राप्त नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बिलिंग फ्लैट रेट से की गई और मीटर वाले कनेक्शन नहीं दिए गए। शहरी क्षेत्र के लिए राज्य में अगले दस वर्षों के लिए कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई जल सुरक्षा कार्य योजना नहीं बनाई गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों दोनों में वार्षिक संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार करने की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। ग्रामीण जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी संतोषजनक नहीं पाई गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय-सीमा अप्राप्त रही। योजना शुरू होने के 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति ढांचा उपलब्ध कराने में विफल रहा। अमृत के अंतर्गत चयनित जिलों में सर्विस कनेक्शन हेतु कुल परिवारों पर विचार नहीं किया गया था।

2.1 राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप नीतियों/योजनाओं को तैयार करना

राज्य की जल नीतियों को राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुसार प्रारूपित/संशोधित करना अपेक्षित था। हालांकि, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हरियाणा में पहले से ही अधिसूचित (मार्च एवं जून 2012) राज्य ग्रामीण एवं शहरी जल नीतियां राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप संशोधित नहीं की गई थीं।

इसके अलावा, राज्य की मौजूदा जल नीतियों के कार्यान्वयन में कमियां देखी गई जो इस प्रकार हैं:

2.1.1 राज्य की जल नीतियों के कार्यान्वयन में कमियां

1. **मीटर वाले कनेक्शन:** राज्य की मौजूदा जल नीतियों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों के बजाय पानी की मात्रा की खपत के आधार पर बिल देना है। इस प्रकार, नीतियां शहरी क्षेत्रों के मामले में, नीति की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी मौजूद बिना मीटर वाले कनेक्शनों को मीटर वाले कनेक्शनों में बदलने पर जोर देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में, 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात मार्च 2017 तक मीटर वाले कनेक्शन प्रदान किए जाने थे। नीति के विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बिलिंग फ्लैट दर से की गई थी और मीटर वाले कनेक्शन नहीं दिए गए थे। शहरी क्षेत्र के मामले में, घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर वाले अथवा बिना मीटर वाले कनेक्शन (फ्लैट दर) का

विकल्प[1] दिया गया है। तथापि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों के चयनित कार्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में बिना मीटर वाले और अवैध कनेक्शन पाए गए थे, जैसा कि अनुच्छेद 4.4 में चर्चा की गई है।

2. **इंसेनिट्री कनेक्शन:** नीति के अनुसार, किसी भी इंसेनिट्री कनेक्शन (ऐसे कनेक्शन जो स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त हैं) का पता चलने पर, विभाग द्वारा बिना कोई नोटिस दिए उसे तुरंत काट दिया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक सुधार के बाद ही बहाल किया जाना चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए घरेलू सर्वेक्षण के दौरान इंसेनिट्री कनेक्शन[2] पाए गए थे। लेकिन, इन इंसेनिट्री कनेक्शनों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सत्यापन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए।

3. **पुलिस स्टेशनों का अधिकार क्षेत्र:** राज्य की जल नीतियां राज्य भर में जल थाना और पावर थाना स्थापित करने पर जोर देती हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कानून का प्रवर्तन शामिल है, लेकिन राज्य में ऐसी कोई प्रथा अस्तित्व में नहीं है।

4. **ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) की भूमिका:** जल प्रभारों के माध्यम से एकत्रित राजस्व, पंचायतों को विकास कार्यों और योजनाओं के प्रभावी रखरखाव के लिए दिया जाना था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली की जा रही है और इसे विभाग के राजस्व शीर्ष में जमा करा दिया गया है। 2016-21 के दौरान, ग्रामीण जल आपूर्ति उपभोक्ताओं से प्राप्तियों के रूप में ₹ 30.25 करोड़ एकत्र किए गए थे (जैसा कि अनुच्छेद 3.3 में चर्चा की गई है) लेकिन इसे ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति को अंतरित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति की सिफारिशों के अनुसार न तो रखरखाव प्राक्कलन तैयार किए गए थे और न ही योजनाओं के प्रभावी रखरखाव हेतु राजस्व संग्रहण, विकास कार्यों के लिए पंचायतों को प्रदान किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2022) के दौरान विभागों[3] ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि विभाग अप्रैल 2017 में जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार जल प्रभारों की फ्लैट दर प्रभारित कर रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहली बार प्रत्येक घर में चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और बाद में कनेक्शनों की मीटरिंग करेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग राज्य की जल नीति के अंतर्गत अर्थात मार्च 2017 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत मीटर वाले कनेक्शन सुनिश्चित नहीं कर सका।

---

1 शहरी क्षेत्रों में जल टैरिफ में संशोधन के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई (अगस्त 2018)।

2 फरवरी 2022 को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 4,88,979 इंसेनिट्री कनेक्शन।

3 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा शहरी स्थानीय निकाय।

2.2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार करना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के पैरा 14 में राज्यों को वर्ष के दौरान की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण देते हुए अपनी वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तैयार करना अपेक्षित है।

मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा के कार्यालय तथा चयनित मण्डलों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि योजनाएं बनाते समय विभिन्न स्तरों अर्थात गांव, जिला या समग्र रूप में राज्य से इनपुट नहीं लिए गए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना में न तो गांव/ग्राम पंचायत से कोई इनपुट था और न ही खूबियों, कमजोरियों अवसरों और चुनौतियों (स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट (स्वॉट)) का विस्तृत विश्लेषण रिकॉर्ड पर पाया गया था। यह इंगित करता है कि विभाग ने विभिन्न हितधारकों को शामिल किए बिना वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों, संसाधनों और चुनौतियों के आधार पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट विश्लेषण नहीं किया गया था।

विभाग ने स्वीकार किया (जून 2022) कि कोई वैज्ञानिक या व्यवस्थित स्वॉट विश्लेषण नहीं किया गया था लेकिन इंजीनियर इन विशेषताओं से बहुत अच्छी तरह परिचित थे जिन्हें भविष्य की परियोजनाओं की तैयारी के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर इस तथ्य की स्वीकृति है कि वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने से पहले विभिन्न हितधारकों से इनपुट नहीं लिया गया था और स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट विश्लेषण नहीं किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की गई थी और उन्हें एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर अपलोड किया गया था। इसके अलावा, निष्पादित होने वाले कार्यों की वार्षिक योजना से संबंधित सभी कार्यसूचियों को जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (डब्ल्यूएसएसबी) की बैठक में अनुमोदन दिया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के लिए मूलभूत जानकारी का अभाव था।

2.3 शहरी क्षेत्रों में योजना

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए एक एडवाइजरी नोट जारी किया (अप्रैल 2012)। राज्यों को शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेक्टर के लिए अगले 10 वर्षों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई।

अभिलेखों[4] की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि शहरी जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार के लिए हरियाणा राज्य में भविष्य की योजना के लिए एडवाइजरी नोट में निर्धारित अगले

[4] प्रमुख अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग); निदेशक (शहरी स्थानीय निकाय); मुख्य प्रशासक (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)।

दस वर्षों के लिए ऐसी कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई थी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (डब्ल्यूएसएसबी) की वार्षिक बैठक में बिना किसी उचित योजना के शहरी क्षेत्रों से संबंधित कार्यों को अनुमोदन दे रहा था, जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ठोस योजना मौजूद नहीं थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय अलग-अलग परियोजनाओं/कार्यों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। यहां तक कि शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति मामलों की देखरेख के लिए जल आपूर्ति संबंधी तदर्थ समिति[5] का गठन नहीं किया गया था। इन विभागों में व्यवस्थित योजना का अभाव है। विस्तृत कार्य योजना के अभाव में समग्र भावी योजना पर ध्यान नहीं दिया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), विभागों[6] ने स्वीकार किया कि कोई दीर्घकालिक योजना नहीं थी, लेकिन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में वार्षिक योजना प्रक्रिया का पालन किया गया था। इस उद्देश्य के लिए, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति की निरंतरता के लिए वार्षिक अनुमान तैयार किया गया है और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया गया है। शहरी स्थानीय निकाय ने तथ्यों को स्वीकार किया और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

2.4 शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत संस्थाओं के लिए पानी की आवश्यकता का आकलन न करना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए केंद्रीय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल में पानी की संस्थागत आवश्यकता के मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

वर्ष 2016-21 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल, 1999 के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की जल प्रदानगी को ध्यान में रखते हुए अगले 30 वर्षों के लिए संभावित जनसंख्या के आधार पर शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति की कुल आवश्यकता का आकलन करते हैं। तथापि, कुल आवश्यकता का आकलन करते समय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उक्त मैनुअल में उल्लिखित संस्थागत[7] आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया गया है।

---

5 इसमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निर्वाचित सदस्य और किसी विशेष कार्य के निर्वहन या किसी मामले पर सलाह देने के लिए विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

6 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय।

7 अस्पतालों के लिए: 340 से 450 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (प्रति बेड), हॉस्टल एवं बोर्डिंग स्कूल/कॉलेज: 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, डे स्कूल/कॉलेज: 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, रेस्तरां: 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (प्रति सीट) और सिनेमा एवं थिएटर के लिए: 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।

2.5 संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार करना

(क) केंद्रीय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) संचालन एवं रखरखाव मैनुअल 2013 के अनुसार, सभी सुविधाओं को शामिल करने के लिए एक व्यापक संचालन एवं रखरखाव[8] योजना तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य यथासंभव किफायती और स्थायी आधार पर सुविधाजनक स्थान और समय पर पर्याप्त प्रेशर से पर्याप्त मात्रा और वांछित गुणवत्ता में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल प्रदान करना है। शहरी क्षेत्रों में, शहरी स्थानीय निकायों को चार शहरों अर्थात गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और करनाल में पानी की आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव का कार्य सौंपा गया है और पंचकुला शहर में यह कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। शेष शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

वर्ष 2016-21 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि:

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, वार्षिक योजनावार रखरखाव प्राक्कलन तैयार किए जा रहे थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जा रहे थे।
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण[9] के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम फरीदाबाद और करनाल) में किसी भी स्तर पर कोई संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार नहीं की जा रही थी। दोनों में से, किसी भी विभाग में वार्षिक संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार करने की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया कि जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव के लिए वार्षिक योजना बनाई जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कोई अनुरक्षित अभिलेख नहीं पाया गया था। आगे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय ने भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

(ख) ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) सौंपना: प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा ने सभी अधीक्षण अभियंताओं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिया (दिसंबर 2019) कि ठेकेदार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों हेतु भुगतान रनिंग बिल के माध्यम से ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा किया जाना था। इसके लिए, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को संचालन एवं रखरखाव पर खर्च करने के लिए निधि की प्राप्ति और व्यय के लिए बैंक खाता खुलवाने की आवश्यकता है। तथापि, प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 1,413 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों ने संचालन

---

8 रखरखाव को संयंत्र, उपकरण, संरचनाओं और अन्य संबंधित सुविधाओं को अधिकतम चालू हालत में रखने की कला के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें निवारक रखरखाव अथवा सुधारात्मक रखरखाव, यांत्रिक समायोजन, मरम्मत तथा सुधारात्मक कार्रवाई और नियोजित रखरखाव शामिल हैं।

9 मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।

एवं रखरखाव अपनाने का संकल्प प्रस्तुत किया था लेकिन इनमें से किसी भी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत को 24 फरवरी 2022 तक संचालन एवं रखरखाव का कार्य सौंपा नहीं गया था।

आगे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा खुलवाए गए बैंक खातों के बजाय खजाने के माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी संतोषजनक नहीं थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पीएफएमएस के अंतर्गत सिंगल खाता खोलने का निर्देश दिया था, लेकिन नई ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन न होने के कारण (पंचायत चुनाव नहीं कराने और पहले की ग्राम पंचायतों को भंग करने के कारण), ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) सौंपा नहीं जा सका।

2.6 जल सुरक्षा कार्य योजना तैयार करना

जल जीवन मिशन के अनुसार, सभी गांवों से पेयजल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं को जिला स्तर पर जिला कार्य योजना और राज्य स्तर पर राज्य कार्य योजना में समेकित किया जाना है। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कोई जल सुरक्षा कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। मंडल कार्यालय जिले के लिए एक समेकित योजना के बजाय बसावटवार अनुमान तैयार करने की प्रथा का पालन कर रहे थे। जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने अपनी वार्षिक बैठकों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य-वार निधियां आबंटित की।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया (दिसंबर 2021) कि जल सुरक्षा कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके बजाय, व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना अनुमान तैयार करने से पहले पेयजल आपूर्ति योजनाओं की कल्पना की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अनुमानों की तैयारी दीर्घकालीन योजना के आधार पर की जानी चाहिए।

हरियाणा राज्य ने राज्य के भीतर जल संसाधनों (भूजल और सतही जल) के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन के लिए हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण को अधिसूचित (दिसंबर 2020) किया था। इसका मुख्य कार्य प्रत्येक ब्लॉक के लिए तैयार की गई जल योजनाओं के आधार पर एकीकृत राज्य जल योजना तैयार करना है। तथापि, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अभी भी एकीकृत राज्य जल योजना, राज्य भूजल और सतही जल योजना, राज्य जल सुरक्षा योजना आदि जैसे अपने उद्देश्यों पर कार्य करने के प्रारंभिक चरण में है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में आकलन किया था कि 40.70 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) की मांग की तुलना में राज्य में भूजल स्तर के आंकड़ों के आधार पर केवल 22.26 बिलियन क्यूबिक मीटर (55 प्रतिशत) पानी की उपलब्धता है, जिससे 45 प्रतिशत के पानी के अंतर को प्रकट किया गया है। उक्त परिस्थितियों में राज्य में जल सुरक्षा के लिए दीर्घकालीन योजना बनाना और भी प्रासंगिक हो जाता है।

आगे, राज्य की जल नीतियों में प्रभावी जल प्रबंधन के उपाय शामिल नहीं हैं (जैसा कि अनुच्छेद 2.1 में चर्चा की गई है), क्योंकि ये राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुरूप नहीं हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सहमति व्यक्त की और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया। इस प्रकार, जल प्रबंधन और जल सुरक्षा से संबंधित मुद्दे अनसुलझे हैं।

2.7 नियोजित/निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्ति

2016-21 के दौरान, ग्रामीण/शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के संबंध में लक्ष्य और प्राप्ति, जहां केंद्र/राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ***तालिका 2.1*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति

क्र.सं	योजना का नाम	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	जल जीवन मिशन	वर्ष 2022 तक 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी)	विभाग ने ग्रामीण परिवारों में 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन का दावा किया। लक्ष्यों को प्राप्त करने में पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती *अनुच्छेद* में की गई है।
2.	महाग्राम योजना	प्रथम चरण में 20 गांवों में कार्य 31 मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना था	मार्च 2021 तक केवल दो गांवों में कार्य पूर्ण किया गया जैसा कि अनुच्छेद 6.6 में चर्चा की गई है।
3.	अमृत	मार्च 2020 तक परियोजना को पूरा करना	चयनित जिलों में 15.89 प्रतिशत परिवारों को सेवा कनेक्शन के लिए विचार नहीं किया गया जैसा कि *अनुच्छेद 2.7 (ग)* में चर्चा की गई है।

अन्य योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य सरकार ने अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए।

(क) जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन (जेजेएम) का उद्देश्य हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में 2022 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। हरियाणा में योजना को लागू करने के लिए, प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परिमंडलों के सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश जारी किए गए थे (दिसंबर 2019) और विभिन्न गतिविधियों के लिए दी गई समय-सीमा ***तालिका 2.2*** में निम्नानुसार थी:

तालिका 2.2: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा

क्र.सं.	कार्य	सभी श्रेणियों के घरों के लिए अंतिम तिथि
1.	प्रशासनिक स्वीकृति	30 सितंबर 2020
2.	सामग्री की खरीद	31 दिसंबर 2020
3.	कार्य आबंटन	31 दिसंबर 2020

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि:

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 45 प्रतिशत कार्यों (कुल 6,678 कार्यों में से 2,992 कार्य) को निर्धारित समय-सीमा के बाद अर्थात 30 सितंबर 2020 के बाद प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया था।
- इसी प्रकार, 1070 कार्य ऐसे थे (अक्तूबर 2021 में प्रदान किए गए डेटा डंप के अनुसार) जहां दिसंबर 2020 तक निविदाएं आबंटित नहीं की गई थीं, यह दर्शाता है कि ये कार्य आबंटित नहीं किए गए थे और इसलिए शुरू नहीं हुए।
- इसके अलावा, विभाग 31 दिसंबर 2020 की समय-सीमा के बाद भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत निष्पादित होने वाले कार्यों के लिए पाइपों की खरीद हेतु आपूर्ति आदेश जारी कर रहा था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक खरीदी गई पाइपलाइन की कुल लंबाई, अपेक्षित लंबाई की तुलना में केवल 11.18 प्रतिशत थी। विवरण ***तालिका 2.3*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.3: अगस्त 2022 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत खरीदी गई/खरीदी जाने वाली पाइपलाइनों की स्थिति

जल जीवन मिशन कवरेज में कार्यों के लिए पाइपलाइन की कुल आवश्यकता (किलोमीटर) (ए)	'ए' की खरीद के लिए अपेक्षित बजट (₹ करोड़ में)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खरीदी गई कुल पाइपलाइन (किलोमीटर) (बी)	मंडलीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल पाइपलाइन (किलोमीटर)	पाइपलाइन की खरीद पर किया गया कुल व्यय (₹ करोड़ में)	31 दिसंबर 2020 के बाद अगस्त 2022 तक खरीदी गई और प्राप्त कुल पाइपलाइन (किलोमीटर) (सी)	'सी' की खरीद पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	शेष पाइपलाइन (किलोमीटर) जो अगस्त 2022 के बाद खरीदी जानी है (डी=ए-(बी+सी)	इस शेष लंबाई के लिए अपेक्षित बजट (₹ करोड़ में)
		31 दिसंबर 2020 तक						
11,161	1,363.11	1,248	1,248	143	5,594	620.11	4,319	600

स्रोतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की आवश्यकता अथवा योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि की आवश्यकता का आकलन किए बिना समय-सीमा निर्धारित की गई। इसके कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों को क्रियान्वित करने में विभाग की प्रगति प्रतिबद्ध समय-सीमा के अनुसार नहीं थी।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भविष्य की योजना के लिए कोई समेकित कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके बजाय, जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड कार्य-वार निधियां आबंटित करता है। मंडलीय कार्यालय जिले के लिए एक समेकित योजना के बजाय बस्तीवार अनुमान तैयार करने की प्रथा का पालन कर रहे थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि राज्य ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य अप्रैल 2022 में प्राप्त कर लिया था। यह भी बताया गया था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का निर्माण/उन्नयन चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा था परंतु कोविड-19 के कारण, समय-सीमा के अनुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बुनियादी ढांचे का निर्माण न होने की स्थिति में चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने को कार्यात्मक नहीं कहा जा सकता है।

(ख) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना

हरियाणा सरकार ने गांवों में गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग (श्रेणी-ए) के पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज आवासीय प्लाट (बिना किसी मूल्य के) आबंटित करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (एमजीजीबीवाई) शुरू की (2008)। इस योजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य, विकास एवं पंचायत विभाग के निक्षेप कार्य के रूप में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपा गया था।

विभाग ने ग्रामीण घरों में 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन का दावा किया। तथापि, अभिलेखों[10] की संवीक्षा के दौरान, निम्नलिखित अभ्युक्तियां की गई थी:

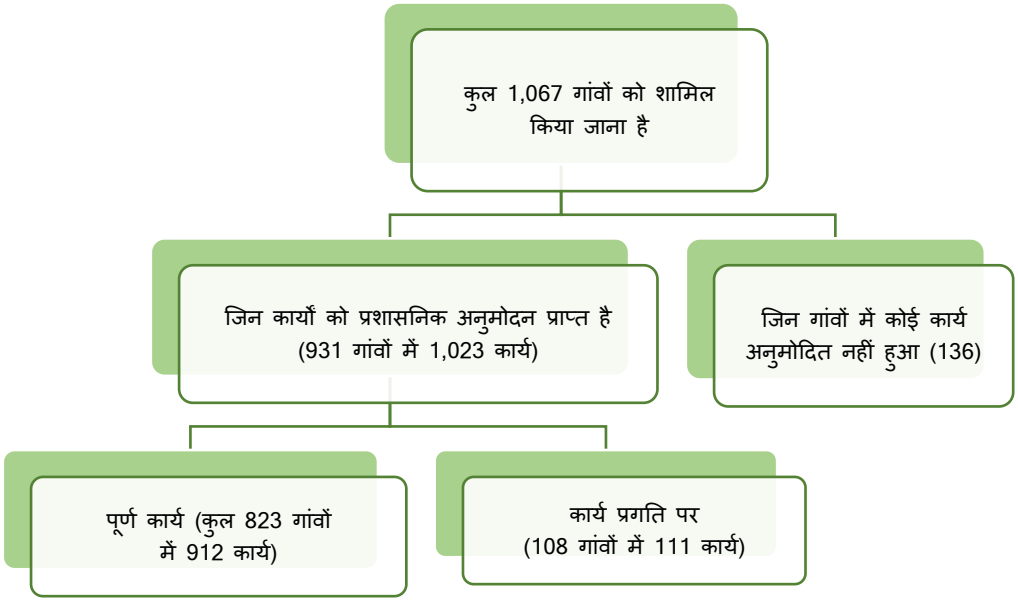

[10] प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा।

इस प्रकार, यह देखा गया था कि 13 प्रतिशत गांवों में कोई कार्य अनुमोदित नहीं किया गया था और 10 प्रतिशत गांवों में 10.12 प्रतिशत कार्य अभी भी प्रगति पर हैं। इसके अलावा, विभाग उन गांवों की सूची उपलब्ध कराने में विफल रहा जहां कोई कार्य अनुमोदित नहीं किया गया था।

सर्वेक्षण के परिणाम: महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में, बस्तियों में जल आपूर्ति सेवाओं के कवरेज की स्थिति को सत्यापित करने के लिए, 44 गांवों[11] का भौतिक सत्यापन किया गया ***(परिशिष्ट 5)***। सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 39 प्रतिशत (44 में से 17) गांवों में आज तक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इनके निवासियों को पानी की आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन सभी बस्तियों के निवासी अपने पीने के पानी की जरूरतों को पास के खेतों/पंचायती हैंडपंपों से पूरा करते हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाएगा। तथ्य यह है कि विभाग 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगस्त 2022 तक महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत बस्तियों में पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराने में विफल रहा।

(ग) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना का प्राथमिक उद्देश्य सभी घरों को जल आपूर्ति और सीवरेज उपलब्ध कराना है।

चयनित नगर निगमों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नई स्वीकृत कॉलोनियों में नई जल आपूर्ति पाइपलाइनें प्रदान करने तथा मिसिंग लिंक्स के अंतर्गत आने वाली पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदलने के लिए ₹ 278.33 करोड़ (अक्तूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच आबंटित कार्य) के कार्य[12] प्राक्कलन तैयार किए गए थे। परियोजना के कार्यान्वयन से पहले और बाद में शामिल किए गए परिवारों का विवरण ***तालिका 2.4*** में दिया गया है:

तालिका 2.4: घरेलू कनेक्शनों का विवरण

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	कुल घर (ए)	परियोजना के निष्पादन से पहले शामिल किए गए घर (बी)	इस परियोजना में शामिल होने वाले घर (सी)	कुल संख्या परियोजना कार्यान्वयन के बाद शामिल किए गए घर (डी=बी+सी)	परियोजना पूरा होने के बाद बिना नल कनेक्शन वाले शेष घर (ई=ए-डी)	शेष घरों का प्रतिशत (ई/ए*100)
1	एमसी हिसार	74,731	46,996	7,000	53,996	20,735	27.75
2	एमसी फरीदाबाद	2,24,575	1,45,110	56,076	2,01,186	23,389	10.41
3	एमसी रेवाड़ी	28,702	23,597	1,909	25,506	3,196	11.14
4	एमसी रोहतक	1,08,644	82,174	22,508	1,04,682	3,962	3.65
5	एमसी करनाल	72,093	36,220	6,297	42,517	29,576	41.02
कुल		**5,08,745**	**3,34,097**	**93,790**	**4,27,887**	**80,858**	**15.89**

[11] पायलट अध्ययन के रूप में, रेवाड़ी जिले में छः गांवों को मैनुअल रूप से चुना गया था और उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट तकनीक (सीएएटी) द्वारा चयन किया गया था।

[12] अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव के साथ चयनित जिले में गांवों सहित, नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति प्रणाली प्रदान करना।

यह देखा गया था कि सभी घरों को शामिल करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए थे और इसलिए, 15.89 प्रतिशत घरों (5,08,745 में से 80,858) को सर्विस कनेक्शन के लिए नहीं माना गया था और प्रत्येक घर में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर देने के बावजूद योजना के कार्यान्वयन के बाद भी लोग पीने योग्य पानी के लाभ से वंचित रहे।

2.8 वाटर वर्क्स के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त न करने के कारण अक्रियाशील योजनाएं

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भू-जल निरीक्षण (जीडब्ल्यूआई) मंडल[13], रेवाड़ी द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जल आपूर्ति के लिए ड्रिल किए गए छ: नलकूप चालू नहीं किए गए थे (मई 2022), जैसा कि मंडल कार्यालयों द्वारा बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं करने के कारण ***परिशिष्ट 6*** में दर्शाया गया है। ।

लंबित बिजली कनेक्शन का कारण अभिलेख में नहीं पाया गया था। बिजली कनेक्शन के अभाव में, यह आकलन किया जाता है कि नलकूपों के स्थापन की योजनाएं अक्रियाशील रहीं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि दो नलकूप योजनाओं को चालू कर दिया गया है और शेष को जल्द ही चालू कर दिया जाएगा।

निष्कर्ष

राज्य ग्रामीण और शहरी जल नीतियों को राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया है। राज्य की मौजूदा जल नीतियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों के बजाय पानी की मात्रा की खपत के आधार पर बिल देना था, जो प्राप्त नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बिलिंग फ्लैट रेट से की गई और मीटर वाले कनेक्शन नहीं दिए गए। शहरी क्षेत्र के लिए राज्य में अगले दस वर्षों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल सुरक्षा कार्य योजना नहीं बनाई गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों में वार्षिक संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। ग्रामीण जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी संतोषजनक नहीं पाई गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय-सीमा अप्राप्त रही। योजना शुरू होने के 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगस्त 2022 तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति ढांचा उपलब्ध कराने में विफल रहा। अमृत के अंतर्गत चयनित जिलों में सर्विस कनेक्शन हेतु कुल परिवारों पर विचार नहीं किया गया था।

[13] कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कोसली, रेवाड़ी मंडल कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (भू-जल निरीक्षण) रेवाड़ी के अधीन हैं और अन्य इकाइयां अन्य भू-जल निरीक्षण मंडलों के अधीन हैं, जो चयन में नहीं थे।

सिफारिशें

उपर्युक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए:

1. *विभाग को सामुदायिक भागीदारी के साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और जल संसाधनों का इष्टतम और स्थायी उपयोग सुनिश्चित करती हैं।*
2. *राज्य सरकार को जल आपूर्ति कनेक्शनों और प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति के कवरेज के संदर्भ में सुचारू जल आपूर्ति के लिए अगले दस वर्षों की अवधि के लिए एक विस्तृत क्षेत्र कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।*